

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 इन्दिरानगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ

सूचना संख्या: 07/मविनि/प्र.नि./2016

दिनांक: 09-12-2016

टेंडर-सह-नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले झाँसी मण्डल में स्थित गोविंदसागर जलाशय की टेंडर-सह-नीलामी निम्न विवरणानुसार सम्पन्न कराई जायेगी :-

जलाशय का नाम	जनपद / मण्डल का नाम	ठेके की अवधि	बयाने की धनराशि (रु० लाख में)	नीलामी स्थल	नीलामी की तिथि व समय
गोविंदसागर	ललितपुर / झाँसी मण्डल, झाँसी	कृषि वर्ष 2016-17 (अनुबन्ध की तिथि से दिनांक: 30-06-2017 तक) से कृषि वर्ष 2018-19 तक।	3.50 लाख	कार्यालय, संयुक्त विकास आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।	22-12-2016 परवान्ह: 11.30 बजे

1- गोविंदसागर जलाशय हेतु टेंडर फार्म व शर्तें उप निदेशक मत्स्य, झाँसी मण्डल, झाँसी के कार्यालय से निविदा प्रपत्र पर अंकित मूल्य रूपये 500.00 + 5 प्रतिशत वैट टैक्स (रु० पांच सौ व 5 प्रतिशत वैट टैक्स अतिरिक्त मात्र) नगद भुगतान कर दिनांक 16.12.2016 से दिनांक 21.12.2016 तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक तथा नीलामी की तिथि दिनांक 22.12.2016 को प्रातः 10.30 बजे तक क्रय/प्राप्त किये जा सकते हैं।

2- टेंडर का पूर्ण विवरण मत्स्य विभाग की वेबसाईट www.fisheries.up.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगा, जिससे टेंडर फार्म व शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं, परन्तु आवेदन के साथ टेंडर फार्म पर अंकित मूल्य रु० 500.00 + 5 प्रतिशत वैट टैक्स का डिमान्ड ड्राफ्ट जोकि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3- टेंडर सह नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक टेंडरदाता को टेंडर डालने के साथ तथा बिना टेंडर डालने वाले बोलीदाता को नीलामी कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व, आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि बयाने के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा, जो प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० के पक्ष में लखनऊ में देय होगा।

4- गोविंदसागर जलाशय हेतु मुहरबंद टेंडर दिनांक 19.12.2016 से दिनांक 21.12.2016 तक समय प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक तथा नीलामी की तिथि दिनांक 22.12.2016 को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 तक उप निदेशक, मत्स्य, झाँसी के कार्यालय में डाले जा सकते हैं।

5- डाले गये टेंडर अथवा नीलामी की उच्चतम् बोली में जो अधिक होगी, को नीलाम समिति द्वारा स्वीकृति हेतु प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम को अग्रसारित किया जायेगा। टेंडर-सह-नीलामी में जिस व्यक्ति की बोली नीलाम समिति द्वारा स्वीकार की जायेगी, को वर्ष 2016-17 के ठेके की (प्रथम वर्ष) एक चौथाई धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में उसके बयाने की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम बोलीदाता/टेंडरदाता अथवा इसी क्रम में बाद के बोलीदाता/टेंडरदाता की बोली

स्वीकार किये जाने पर विचार किया जा सकता है। यदि बाद के बोली/टेंडरदाता भी एक चौथाई धनराशि तत्काल जमा करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके बयाने की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार/समिति को ठेके के प्रथम वर्ष की अवशेष तीन चौथाई धनराशि की बैंक गारण्टी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निगम के पक्ष में निर्गत होगी, अनुबन्ध के समय जमा करनी होगी एवं ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष में क्रमशः दिनांक 15-08-2017 व दिनांक 15-08-2018 तक एक चौथाई धनराशि के साथ अवशेष तीन चौथाई धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक गारण्टी जमा करानी होगी।

6- निविदादाता/बोलीदाता को टेण्डर-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु आरक्षित मूल्य की धनराशि की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि का सक्षम स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड व विगत तीन वर्षों का आईटी0आर0 (इनकम टैक्स रिटर्न) तथा राशन कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र/वाहन चालन अनुज्ञा/आयकर खाता संख्या प्रमाण-पत्र/ब्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र/नगर निगम द्वारा जारी कोई मूल्यांकन आदेश अथवा रसीद/टेलीफोन बिल में से किसी एक की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7- अनुबन्ध के समय स्वयं व दो जमानतदारों की नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटो ग्राफ, ठेके के तीन वर्षों की कुल धनराशि की 5 प्रतिशत धनराशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निगम के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 तथा ठेके के प्रथम वर्ष की अवशेष तीन चौथाई धनराशि की बैंक गारण्टी, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निगम के पक्ष में निर्गत होगी, प्रस्तुत करना होगा।

8- ठेकेदार/समिति को गोविंदसागर जलाशय में निगम द्वारा इस वर्ष संचित 25.00 लाख मत्स्य बीज की धनराशि रू0 2,87,500.00 का भुगतान माह मार्च, 2017 तक करना होगा। उक्त के अतिरिक्त ठेके के आगामी द्वितीय व तृतीय वर्ष में 25.00 लाख मत्स्य बीज निगम की हैचरियों से प्रति वर्ष संचित कराना होगा। उक्त संचित कराये गये मत्स्य बीज अथवा कराये जाने वाले मत्स्य बीज मूल्य की धनराशि ठेकेदार को मत्स्य बीज की निर्धारित दरों पर अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जमा करना होगा।

9- शिकारमाही प्रत्येक वर्ष के 01 सितम्बर से 30 जून तक की जा सकेगी तथा माह 01 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रत्येक वर्ष शिकारमाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

नीलामी की शर्तें आदि निगम मुख्यालय/उपरोक्त वेबसाईट/उप निदेशक, मत्स्य, झांसी के कार्यालय से भी किसी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य महा प्रबन्धक

गोबिन्दसागर जलाशय के ठेके के निस्तारण हेतु टेंडर-प्रपत्र

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि०,
लेखराज-2, तृतीय तल, इन्दिरानगर,
लखनऊ।

महोदय,

मैंने/हमने गोबिन्दसागर जलाशय के ठेके के टेण्डर फार्म, सन्लग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली-भांति समझ लिया है। मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं। टेण्डर-सह-नीलामी की स्वीकृति की सूचना मिलने के दो सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बाण्ड पूर्ण करने को तैयार हूँ/हैं और टेण्डर में निर्धारित बयाने की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर रसीद प्राप्त कर ली है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। टेण्डर-सह-नीलामी की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर निर्धारित अवधि में एग्रीमेंट पूर्ण कर जलाशय में शिकारमाही आदेश प्राप्त करने हेतु बाध्य हूँगा।

क्र०सं०	जलाशय का नाम	ठेके के वर्ष 2016-17 हेतु टेण्डर-सह-नीलामी की धनराशि
1-	गोबिन्दसागर	रु०

- 1- जलाशय हेतु बयाने की धनराशि स्वरूप जमा की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है।
 - क- रसीद संख्या.....
 - ख- धनराशि रु०.....
 - ग- बैंक का नाम.....
 - घ- बैंक ड्राफ्ट संख्या..... तिथि.....
- 2- निविदादाता दाता का नाम :
- 3- निविदादाता का पता (नोटरी द्वारा प्रमाणित) संलग्न करें :
- 4- निविदादाता की पहचान पत्र शर्त संख्या-6 (ब)
- 5- समिति के पंजीकरण प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।
- 6- पैन संख्या..... संलग्न है- हॉ/नहीं।
- 7- विगत तीन वर्षों की आईटी0आर0(इनकम टैक्स रिटर्न) संलग्न है- हॉ/नहीं।
- 8- हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है- हॉ/नहीं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि० की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों की टेण्डर-सह-नीलामी की मुख्य-मुख्य शर्तें ।

- 1- जलाशय का निस्तारण टेण्डर-सह-नीलामी द्वारा "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर किया जायेगा।
- 2- टेण्डर-सह-नीलामी हेतु तिथियों का निर्धारण प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
- 3- टेण्डर फार्म व शर्तें सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य के कार्यालय से निविदा प्रपत्र पर अंकित मूल्य + 5 प्रतिशत वैट टैक्स नगद भुगतान करके नीलामी के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व से पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक तथा नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। टेण्डर का पूर्ण विवरण निगम की वेबसाईट www.upfisheriescorp.org अथवा मत्स्य विभाग, उ०प्र० की वेबसाईट www.fisheries.up.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगा, जिससे टेण्डर फार्म व शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं, परन्तु आवेदन के साथ टेण्डर फार्म पर अंकित मूल्य की धनराशि + 5 प्रतिशत वैट टैक्स का डिमान्ड ड्राफ्ट, जोकि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- ठेके की अवधि प्रथम वर्ष में अनुबन्ध की तिथि से दिनांक 30 जून तक तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष में 01 सितम्बर से 30 जून तक होगी। प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से 31 अगस्त तक शिकारमाही प्रतिबन्धित रहेगी। ठेकेदार/समिति को प्रत्येक वर्ष हेतु शिकारमाही के आदेश अलग से प्राप्त करने होंगे एवं प्रतिबन्धित अवधि माह जुलाई व अगस्त में शिकारमाही पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। तीन वर्षों के लिये ठेके का निस्तारण इस शर्त के साथ होगा कि द्वितीय वर्ष के ठेके का मूल्य प्रथम वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित व तृतीय वर्ष के ठेके का मूल्य द्वितीय वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित देय होगा।
- 5- टेण्डर सह नीलामी में भाग लेने हेतु जलाशय के आरक्षित मूल्य के बयाने की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में :-

(क)-टेण्डर में भाग लेने हेतु आरक्षित मूल्य के बयाने की धनराशि जमा करने की प्रक्रिया

टेण्डरदाता को टेण्डर डालने के साथ आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि बयाने के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, जो प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० के पक्ष में लखनऊ में देय होगा।

(ख)-नीलामी में भाग लेने हेतु आरक्षित मूल्य की बयाने की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में

नीलामी के दिनांक को नीलामी में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार/समिति द्वारा नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक नीलामी स्थल पर ही 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि के डिमाण्ड

ड्राफ्ट, जोकि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम के पक्ष में लखनऊ में देय हो, जमा कर निगम से रसीद प्राप्त कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(ग) टेण्डर सह नीलामी में भाग लेने हेतु आरक्षित मूल्य की बयाने की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

टेण्डर-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 10 प्रतिशत बयाने की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम के पक्ष में लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित उप निदेशक, मत्स्य कार्यालय में जमा करनी होगी, जिस पर उन्हें रसीद दो प्रतियों में प्राप्त होगी, जिसमें से एक प्रति वह अपना टेण्डर फार्म जमा करते समय उसके साथ नत्थी करेंगे तथा दूसरी प्रति दिखाने पर वह नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। आरक्षित मूल्य के बयाने की धनराशि नहीं जमा करने पर किसी भी टेंडरदाता/बोलीदाता को टेण्डर-सह-नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

जिस ठेकेदार/समिति की उच्चतम बोली प्राप्त होगी, को नीलामी स्थल पर ही ठेके के प्रथम वर्ष की धनराशि की एक चौथाई धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, जिसमें बयाने की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी, परन्तु यदि बोलीदाता/टेण्डरदाता सर्वोच्च बोली घोषित किये जाने के तत्काल बाद एक चौथाई धनराशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसके बयाने की धनराशि जब्त करते हुए दूसरे बोलीदाता/टेण्डरदाता अथवा उसके क्रम में बाद के बोलीदाता/टेण्डरदाता को भी नीलामी धनराशि जमा करने का अवसर नीलामी समिति द्वारा दिया जा सकता है। यदि बाद के बोलीदाता/टेण्डरदाता अपनी बोली की एक चौथाई धनराशि जमा करने में असफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी बयाने की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6- बोलीदाता को बयाने की धनराशि जमा कराते समय तथा निविदादाता को निविदा के साथ निम्नांकित सूचनायें/प्रपत्र उपलब्ध कराना/संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

(अ) बोलीदाता/निविदादाता का नाम व पता (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।

(ब) बोलीदाता/निविदादाता भारत का नागरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न होनी चाहिए (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।

(स) राशन कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र/वाहन चालन अनुज्ञा/आयकर खाता संख्या प्रमाण-पत्र/वाणिज्य कर खाता संख्या प्रमाण पत्र/नगर निगम द्वारा जारी कोई मूल्यांकन आदेश अथवा रसीद/टेलीफोन बिल में से किसी एक की नोटरी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति।

(द) टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु टेण्डर फार्म के साथ बोलीदाता/निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना/संलग्न करना अनिवार्य होगा कि टेण्डर-सह-नीलामी

प्रक्रिया में उसकी उच्चतम बोली होने पर 25 प्रतिशत (एक चौथाई) धनराशि तत्काल निगम को उपलब्ध करायेगा।

(य) निविदाता/बोलीदाता को टेण्डर-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु आरक्षित मूल्य की धनराशि की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाणिक हैसियत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना/संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(र) विगत तीन वर्षों की आई0टी0आर0 (इनकम टैक्स रिटर्न) एवं पैन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।

7— मोहरबन्द टेण्डर, टेण्डर-सह-नीलामी के तीन दिन पूर्व से टेण्डर-सह-नीलामी की तिथि को प्रातः 11.00 बजे तक सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य के कार्यालय में डाला जा सकेगा। सर्व प्रथम नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त टेण्डरों को नीलामी समिति के समक्ष खोला जायेगा।

8— उच्चतम बोली/टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त प्रथम वर्ष के ठेके की एक चौथाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष की धनराशि की एक चौथाई धनराशि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक जमा करनी होगी, शेष 75 प्रतिशत धनराशि प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च तक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समान किशतों में जमा करनी होगी। ठेकेदार को ठेके के प्रथम वर्ष की अवशेष तीन चौथाई धनराशि की बैंक गारण्टी, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निगम के पक्ष में निर्गत होगी, अनुबन्ध के समय जमा करनी होगी एवं ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष में एक चौथाई धनराशि के साथ अवशेष तीन चौथाई धनराशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक गारण्टी जमा करानी होगी तथा जैसे-जैसे ठेकेदार द्वारा मासिक किशतें जमा कराई जायेंगी बैंक गारण्टी की धनराशि में कमी की जा सकेगी। ठेके के प्रथम वर्ष में ठेकेदार/समिति यदि किशतों की धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करता/करती है तो अनुबन्ध की तिथि के तीन माह उपरान्त ठेकेदार/समिति को 02 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की धनराशि दण्ड स्वरूप देय किशत के साथ-साथ भुगतान करनी होगी। ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष में ठेकेदार/समिति यदि किशतों की धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करता/करती है तो तीन माह के भीतर अर्थात् 01 दिसम्बर के उपरान्त ठेकेदार/समिति को 02 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की धनराशि दण्ड स्वरूप देय किशत के साथ-साथ भुगतान करनी होगी। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय में किशतों की धनराशि जमा नहीं की जाती है अथवा ठेकेदार/समिति 31 मार्च तक दो प्रतिशत ब्याज दण्ड स्वरूप व किशतों की धनराशि जमा नहीं करता/करती है तो विशेष परिस्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम को यह अधिकार होगा कि वह 30 जून तक अवशेष धनराशि दण्ड ब्याज सहित जमा करने का समय बढ़ा सकते हैं अथवा अपने विवेकानुसार ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी जमानत धनराशि को जब करते हुये ठेके को निरस्त कर पुनः टेण्डर-सह-नीलामी की कार्यवाही कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि में ठेकेदार/समिति धनराशि जमा नहीं कर पाते हैं तो उक्त ठेकेदार को अगले तीन वर्षों हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि की वसूली ठेकेदार/समिति, उसके सदस्यों व जमानतदारों से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी।

9— जलाशय में ठेकेदार/समिति को प्रथम वर्ष में निगम की हैचरियों से निर्धारित मात्रा में संचित/संचित कराये जाने वाले मत्स्य बीज की धनराशि का भुगतान निगम को निर्धारित किशतों में माह मार्च तक करना होगा। उक्त के अतिरिक्त ठेकेदार को ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष में उक्त जलाशय में निगम की निर्धारित हैचरी से निर्धारित मात्रा में प्रति वर्ष 15 जुलाई से 30 सितम्बर के मध्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष जलाशय में मत्स्य बीज का संचय कराना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा उक्त अवधि में निगम की हैचरी से मत्स्य बीज प्राप्त कर जलाशय में संचित नहीं किया जाता है तो निगम अपने वाहन से जलाशय में मत्स्य बीज का संचय करा देगा और ठेकेदार/समिति को मत्स्य बीज का मूल्य निगम द्वारा निर्धारित यातायात व्यय सहित भुगतान करना होगा। जलाशय में निगम द्वारा निर्धारित दरों पर संचित किये गये/कराये गये मत्स्य बीज मूल्य को ठेकेदार/समिति को निर्धारित मासिक किशतों में 31 मार्च तक डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा मत्स्य बीज मूल्य की मासिक किशत जमा कराने में कोई व्यतिक्रम किया जायेगा तो उसे प्रत्येक माह हेतु 02 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा। ठेकेदार/समिति यदि निर्धारित अवधि में मत्स्य बीज का मूल्य जमा कराने में असफल रहता है तो ठेका निरस्त कर पुनः नीलाम पर रख दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/समिति को होगी।

10— प्राप्त टेण्डर अथवा नीलामी में जिस व्यक्ति/समिति की उच्चतम बोली प्राप्त होगी, को नीलामी समिति द्वारा स्वीकृति हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम को अग्रसारित किया जायेगा।

11— टेण्डर-सह-नीलामी के पश्चात, ठेके की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम द्वारा लिया जायेगा। इसकी सूचना ठेकेदार/समिति को पंजीकृत डाक से उसके वर्तमान पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की नहीं होगी। टेण्डर/बोली स्वीकृत होने पर ठेकेदार/समिति को अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

12— स्टैम्प अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि के देय स्टैम्प शुल्क पर अनुबन्ध करना ठेकेदार/समिति की जिम्मेदारी होगी। अनुबन्ध के समय ठेकेदार/समिति के अधिकृत पदाधिकारी को स्वयं व दो जमानतदारों की नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटो ग्राफ तथा ठेके के प्रथम वर्ष की अवशेष तीन चौथाई धनराशि की बैंक गारन्टी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निगम के पक्ष में निर्गत होगी, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध पत्र की मूल प्रति उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के पास रहेगी तथा छाया प्रति ठेकेदार/समिति के पास होगी।

13— ठेकेदार/समिति को अनुबन्ध के समय तीन वर्षों की नीलामी की कुल धनराशि की पांच प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में निगम के पक्ष में जमा करनी होगी।

14— टेण्डर-सह-नीलामी में पंजीकृत मछुवा सहकारी समिति को बोली बोलने/टेण्डर डालने में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

15— यदि पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा बोली/टेण्डर में भाग लिया जाता है व ठेका उसके पक्ष में स्वीकृत होता है तो उसे शर्तनामा भरने के पूर्व समिति के गत वर्ष के लाभ-हानि के खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं समिति की वित्तीय स्थिति का प्रमाण-पत्र निगम को उपलब्ध कराना होगा। यह भी आवश्यक होगा कि समिति की बैठक में तत्सम्बन्धी पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करानी होगी। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि समिति की ओर से किस व्यक्ति (पदाधिकारी) को शर्तनामा भरने, धनराशि जमा करने, अनुबन्ध करने, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व निगम से पत्राचार करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस व्यक्ति की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो जो समिति के उक्त निर्णय पर चस्पा करके निगम को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

16— प्रबन्ध निदेशक को पूर्ण अधिकार होगा कि नीलाम समिति द्वारा अग्रसारित की गयी बोली को स्वीकृत कर दें अथवा उसे निगम हित में बिना कारण बताये अस्वीकृत कर दें।

17— ठेकेदार/समिति द्वारा नीलामी की अवशेष धनराशि जिसमें मत्स्य बीज का मूल्य भी सम्मिलित होगा, निर्धारित अवधि में जमा नहीं करने की स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी द्वारा समय वृद्धि नहीं दी जाती है तो जलाशय प्रभारी को मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करके, जलाशय में शिकारमाही का कार्य बन्द करने का अधिकार होगा। इस प्रकार शिकारमाही कार्य बन्द होने से किसी प्रकार की हुई क्षति का सम्पूर्ण दायित्व सम्बंधित ठेकेदार/समिति का होगा तथा निगम का ठेकेदार/समिति द्वारा स्वजनित हानि की पूर्ति का कोई दायित्व नहीं होगा।

18— ठेकेदार/समिति जिन शिकारियों को अपनी तरफ से मजदूरी पर रखेगा उनको शिकारमाही करने का आज्ञा-पत्र जलाशय पर पदस्थ निगम के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिया जायेगा। यह आज्ञा पत्र किसी भी समय निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा देखा जा सकता है और इन अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये कोई भी आज्ञा पत्र निरस्त कर दें। ठेकेदार/समिति को स्वयं अथवा उसके कर्मचारियों के आने-जाने, रहने, खाने-पीने आदि का समस्त प्रबन्ध स्वयं करना होगा। शिकारियों के कथित बेकार रहने पर निगम की कोई जिम्मेदारी न होगी।

19— ठेकेदार/समिति को प्रतिदिन निकाली गयी मछली निर्धारित स्थल पर निगम के कर्मचारियों के समक्ष निर्धारित समय पर तौलाना अनिवार्य होगा। तौलाई गई मछली हेतु काटे गये चालान आदि पर ठेकेदार को भी प्रतिदिन हस्ताक्षर करने होंगे। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों को मछली के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा।

20— ठेकेदार/समिति शिकारमाही के लिये निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जालों का ही उपयोग कर सकेगा। निगम के अधिकारियों को ठेकेदार के जालों, लाइसेंस एवं पकड़ी गयी मछली का निरीक्षण जलाशय से 10 कि०मी० की परिधि में करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21— निगम से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही शिकारमाही की जा सकेगी और वास्तविक शिकारमाही प्रारम्भ करने की तिथि से तीन दिन पूर्व निगम के स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना देनी होगी। लाइसेंस शर्त संख्या— 08, 11, व 12 का अनुपालन करने पर ही दिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रत्येक शिकारी के लिये निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शिकारियों के अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को ठेकेदार/समिति अन्य कार्यों हेतु नियुक्त करेगा, उसकी पूर्ण सूचना जलाशय प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र पर देनी होगी तथा उसके द्वारा किये गये कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार/समिति की होगी।

22— ठेकेदार/समिति स्वयं अथवा अपने कर्मचारियों द्वारा किसी भी नियमों का उल्लंघन करने के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा। उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से यदि निगम की किसी प्रकार की क्षति होगी तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा जमानत एवं ठेके की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

23— सिंचाई विभाग एवं वन विभाग की सड़कों का उपयोग करने की आवश्यकता हो तो अनुमति प्राप्त करने का ठेकेदार/समिति को स्वयं प्रबंध करना होगा।

24— ठेकेदार/समिति शिकारमाही में डेढ़ कि०मी० से कम वजन की रोहू, कतला, करोंच, नैन, महाशेर, कामन कार्प, सिल्वरकार्प तथा ग्रास कार्प मछलियों को नहीं निकालेगा। यदि कोई ऐसी मछली जाल में आ जाती है तो उसे जिन्दा ही जलाशय में छोड़ देना होगा। यदि कोई ऐसी कम वजन की मछली मरी पायी जाती है तो उसका मूल्य ठेकेदार/समिति को मेजर कार्प मछली के बाजार भाव से तथा रु० 50.00 प्रति मछली बतौर जुर्माना देना होगा। शिकारमाही कार्य 01 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी मछलियों व प्रजातियों, जो भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं, के बीज जलाशय में संचित नहीं किये जायेंगे।

25— ठेकेदार/समिति जलाशयों की मछली जलाशय के किनारे निर्धारित स्थान पर निकालेगा। जलाशय प्रभारी की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित स्थान (लैंडिंग सेन्टर) में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मछली को लादने, उठाने, ले जाने तथा जलाशय पर बर्फ आदि सभी वस्तुओं का प्रबन्ध ठेकेदार/समिति को स्वयं करना होगा। निगम से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

26— निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त कार्य के सम्बन्ध में जो आदेश दिये जायेंगे वे निगम द्वारा जारी समझे जायेंगे। उसका ठेकेदार/समिति द्वारा पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ठेकेदार/समिति को स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि (समिति की दशा में उसका कोई प्राधिकारी जो लिखा-पढ़ी का कार्य कर सके) को

जलाशय पर उपलब्ध रहना होगा, ताकि निगम द्वारा उक्त कार्य के संबंध में आदेश दिये जा सकें। ऐसे प्रतिनिधि को जो भी आदेश व सूचनायें दी जायेंगी, यह समझा तथा माना जायेगा कि वह सूचनायें तथा आदेश ठेकेदार/समिति ने स्वयं प्राप्त किये हैं। यदि ठेकेदार/समिति का प्रतिनिधि निगम द्वारा निर्गत सूचना को लेने से इंकार करता है तो उसका प्रतिनिधित्व समाप्त करते हुए जलाशय प्रभारी द्वारा तत्काल शिकारमाही का कार्य बन्द कराया जा सकता है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/समिति का होगा।

27— ठेकेदार/समिति को निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 15 अप्रैल के बाद निकाली गयी मछली में से पियूष ग्रन्थि निकाले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पियूष ग्रन्थि निकाली गई मछली उसे तत्काल दे दी जायेगी।

28— ठेकेदार/समिति या उसका कोई भी प्रतिनिधि उक्त कार्य करते समय किसी अन्य जलाशय की मछली उक्त जलाशय पर नहीं रखेगा और यदि उसने ऐसा किया तो उसके पास जितनी मछली पायी जायेगी वह उसी ठेके के अधीन निकाली गयी मछली समझी जायेगी।

29— ठेकेदार/समिति द्वारा अनुबन्ध पत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड नोटिस निगम स्तर से देने पर यह मान लिया जायेगा कि नोटिस उसे मिल गयी है।

30— निगम के अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदार/समिति की मछली जलाशय के किनारे उसके गोदाम में अथवा रास्ते में चेक कर सकते हैं। उसके मांगने पर ठेकेदार/समिति के पास पायी गई मछली का संतोषजनक ब्योरा न होने पर उसकी मछली जब्त की जा सकती है तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के पूर्व ठेकेदार/समिति को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

31— ठेकेदार/समिति ठेके की अवधि में कोई ऐसा जहरीला अथवा विस्फोटक पदार्थ जलाशय में नहीं डालेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को डालने देगा, जिससे पानी के दूषित होने अथवा मछलियों के मरने की सम्भावना हो। ठेकेदार/समिति को अपने खेमे के आस-पास की जगह को साफ सुथरी रखनी होगी।

32— ठेकेदार/समिति ठेका अवधि में जलाशय से मत्स्य प्रजातियों की विविधता बनाये रखने हेतु किसी भी घड़ियाल, कछुओं आदि को नहीं पकड़ेगा और न ही जलाशय से जिन्दा निकालेगा एवं न ही इन प्रजातियों को कोई क्षति पहुँचायेगा।

33— निगम द्वारा जलाशय में प्रायोगिक शिकारमाही करने में ठेकेदार/समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रायोगिक शिकारमाही व छेदन के उपरान्त मछली ठेकेदार को दे दी जायेगी। निगम द्वारा संचालित योजनाओं यथा— मोबाईल फिश पार्लर आदि हेतु ठेकेदार द्वारा निगम के तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित दरों पर जलाशय की मछली निगम को उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

34— ठेकेदार/समिति द्वारा ठेके के प्रति जमा की गयी जमानत की धनराशि यदि ठेके की शर्तों के प्राविधान के अन्तर्गत जब्त न की गयी हो तो बकाया वसूलियाँ (यदि कोई हों) को काटकर ठेके की समाप्ति के 6 माह बाद प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लखनऊ के आदेश से ठेकेदार/समिति को वापस कर दी जायेगी। ठेकेदार/समिति को देय जमानत धनराशि को किसी अन्य मामले में बकाया धनराशि के प्रति काटने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

35— ठेकेदार/समिति शिकारमाही कार्य अस्थाई रूप से बन्द करता है तो उसकी सूचना जलाशय पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

36— ठेके के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार के अनुरोध पर अवशेष धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निगम में जमा कराने पर आर्बीट्रेटर की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। आर्बीट्रेटर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। यदि ठेके में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

37— ठेके के सम्बन्ध में किसी भी बकाया धनराशि की देनदारी ठेकेदार/समिति व जमानतदारों से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल की जायेगी।

38— ठेकेदार/समिति द्वारा निगम के बेहतरीन जलाशय प्रबन्धन, उत्पादन एवं विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निगम प्रबन्धन द्वारा दिये निर्देश/शर्तें मान्य होंगी।

39— इस सूचना की सभी शर्तें अनुबन्ध की अंग समझी जायेंगी।

प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि०,
तृतीय तल, लेखराज मार्केट- 2
इन्दिरानगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ